



2026:AHC:163424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 25649/2026

आशुतोष कुमार एवं 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: बीरेन्द्र सिंह, रतन सिंह, स्वाति सिंह

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विजय प्रताप सिंह को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए योजित की गई है:-

" i) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 अर्थात् जिलाधिकारी/कलेक्टर, बांदा को यह निर्देश देने के लिए परमादेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4 द्वारा योजित आवेदन दिनांक 17.02.2022 और उसके पश्चात के प्रत्यावेदनों/स्मरण पत्रों दिनांक 23.08.2022, 19.03.2024 और 06.01.2025 पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार करें और निर्णय लें।

ii) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 अर्थात् जिलाधिकारी/कलेक्टर, बांदा को यह निर्देश देने के लिए परमादेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4 को ग्राम खुरहंड, परगना और तहसील अतर्रा, जिला बांदा में स्थित गाटा संख्या 1254, रकबा 0.4050 हेक्टेयर के संबंध में, जो कैसर से पीड़ित स्वर्गीय श्री सुंदर लाल के उपचार और उसके लिए उपगत देनदारियों के कारण आवश्यक हो गया है, याचिकाकर्ता संख्या 5 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत अनुमति प्रदान करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी/कलेक्टर, बांदा के समक्ष आवेदन/प्रत्यावेदन दिनांक 17.2.2022/ 23.8.2022/ 19.3.2024/ 6.1.2025 योजित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत आवश्यक अनुमति प्रदान करने के पश्चात याचिकाकर्तागण को विक्रय विलेख निष्पादित करने की अनुमति दी जाए, परंतु प्राधिकरण ने इस प्रकरण में कोई विधिक कदम नहीं उठाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 23.8.2022 के आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा अनुमति/विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए कारण दर्शित किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे अनुमति/विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि के अनुसार विचार करें।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उचित रीति से आवेदन योजित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में, प्राधिकारियों ने इस विधिक प्रक्रिया को पंजीकृत नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका योजित करने के स्थान पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत उचित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का परिशीलन किया है।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तागण प्लॉट संख्या 1254 के स्वामी और अध्यासी हैं तथा अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित हैं।

7. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत, अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति को विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए अनुमति प्रदान करने का प्रावधान विनिर्दिष्ट किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह आवेदन पर विचार करे, आवश्यक जांच संचालित करे, सुसंगत तथ्यों को सत्यापित करे, और विधि के अनुसार अपनी संतुष्टि दर्ज करने के पश्चात, ऐसी अनुमति प्रदान करे या अस्वीकार करे।

8. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 परिशीलन के लिए सुसंगत होगी जो निम्नलिखित है:-

"98. अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर निर्बंधन- (1) इस अध्याय के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी भूमिधर को कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुमति के बिना, विक्रय, दान, बंधक या पट्टे के माध्यम से किसी भी भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परन्तु कलेक्टर द्वारा अनुमति केवल तभी प्रदान की जा सकती है जब-

(क) अनुसूचित जाति से संबंधित भूमिधर का कोई जीवित वारिस न हो, जो यथास्थिति धारा 108 की उपधारा (2) के खंड (क) या धारा 110 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हो; या

(ख) अनुसूचित जाति से संबंधित भूमिधर उस जिले के अलावा किसी अन्य जिले में, जिसमें अंतरित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि स्थित है, या किसी अन्य राज्य में किसी सेवा या किसी व्यापार, आजीविका, वृत्ति या व्यवसाय के उद्देश्य से बस गया हो या सामान्यतः निवास कर रहा हो; या

(ग) कलेक्टर, विनिर्दिष्ट कारणों से, संतुष्ट हो कि भूमि के अंतरण के लिए अनुमति प्रदान करना आवश्यक है।

(2) इस धारा के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने के उद्देश्यों के लिए कलेक्टर ऐसी जांच कर सकता है जो विनिर्दिष्ट की जाए।"

9. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार जिलाधिकारी के समक्ष उचित प्रावधान के अंतर्गत उचित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

10. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्युत्तरदाता संख्या 2, जिलाधिकारी/कलेक्टर, बांदा के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 98 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करे, जिसे जिलाधिकारी बांदा/प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और विधि के अनुसार शीघ्रता से उसका निस्तारण किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति श्री चन्द्र कुमार राय)

5 अगस्त, 2026

वंदना वाई.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।